न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 114/17

अनवान

1 मैसर्स एस.एन. केमीकल्स प्रा.लि. सुनिता पत्नि पवन कुमार चौधरी, शिल्पा पत्नि निरमल कुमार चौधरी, कमल कुमार पिता शांतीलाल जैन उम्र वयस्क निवासी शास्त्रीनगर, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

——————(प्रार्थी)

बनाम

1. मनोहर मीनरल पार्टनर अजीत जैन पिता शान्तिलाल जैन उम्र वयस्क निवासी 1 डी. 27 शास्त्रीनगर तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ——————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 21.12.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम बेंरा पटवार मण्डल बेंरा भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 432 के आ0न0 2947/2455 रकबा 01–10 बीघा,** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.09.2017 को विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षी कम 01 की और से नियत पैशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त करते हुए, इसी संदर्भ ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण सहमति से स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम बेंरा पटवार मण्डल बेंरा भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 432 के आ0न0 2947/2455 रकबा 01–10 बीघा,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बेंरा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाडा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 114/2017 दिनांकः 21.12.2017

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 114/17

अनवान

1 मैसर्स एस.एन. केमीकल्स प्रा.लि. सुनिता पत्नि पवन कुमार चौधरी, शिल्पा पत्नि निरमल कुमार चौधरी, कमल कुमार पिता शांतीलाल जैन उम्र वयस्क निवासी शास्त्रीनगर, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

———————(प्रार्थी)

बनाम

1. मनोहर मीनरल पार्टनर अजीत जैन पिता शान्तिलाल जैन उम्र वयस्क निवासी 1 डी. 27 शास्त्रीनगर तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ———————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 21.12.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम बेंरा पटवार मण्डल बेंरा भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 432 के आ0न0 2947/2455 रकबा 01–10 बीघा,** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.09.2017 को विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षी कम 01 की और से नियत पैशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त करते हुए, इसी संदर्भ ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण सहमति से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बेंरा पटवार मण्डल बेंरा **भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 432 के आ0न0 2947/2455 रकबा 01–10 बीघा,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बेंरा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)